

Date - 25 Feb 2021

Part - A

Name - Akanksha Tomar

33

प्रश्न 2.1

उत्तर

मंत्रीपरिषद्

↓

↓

↓

मंत्रीमण्डल

(कैबिनेट मंत्री)

- सबसे महत्वपूर्ण विभागों के समुच्च होते हैं।

- मंत्रीपरिषद् की वार्षिक बजट कैबिनेट में मिलती है।

- उनकी संख्या कम होती है।

- प्रत्येक सप्ताह कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

राज्य मंत्री

- इनका राजनीतिक महत्व कैबिनेट मंत्री से कम होता है।

- स्वतंत्र विभाग या किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं।

- कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते, यदि उनके विभाग का विषय चर्चा में शामिल हो, तो हिस्सा लेते हैं।

उपमंत्री

- ये किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन ही कार्य करते हैं।

- नये राजनीतियों को मंत्री पद का अनुभव देने के लिए उपमंत्री बनाया जाता है।

4

संविधान

(2)

(1) संविधान के अन्तर्गत संसद के पास  
 (a) संसद के पास  
 (b) संसद के पास  
 (c) संसद के पास  
 (d) संसद के पास

(2) संसद के पास  
 (a) संसद के पास  
 (b) संसद के पास  
 (c) संसद के पास  
 (d) संसद के पास


(3) संसद के पास  
 (a) संसद के पास  
 (b) संसद के पास  
 (c) संसद के पास  
 (d) संसद के पास

(4) संसद के पास  
 (a) संसद के पास  
 (b) संसद के पास  
 (c) संसद के पास  
 (d) संसद के पास

Date: . . .

# क्षेत्राधिकार

31



Date: / /

सन-29  
जुल

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 312 में  
अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में वर्णन  
किया गया है अखिल भारतीय सेवाओं  
के गठन का कार्य भारत की संसद  
द्वारा किया जाता है। चूंकि ये सेवाएँ  
संघीय ढाँचे का हिस्सा हैं, अतः राज्य  
सभा को यह अधिकार है, कि वह  
ऐसा लेकल्प उपारित करे कि संसद  
को नई अखिल भारतीय सेवा का गठन  
करना चाहिए।

वर्तमान में निम्न तीन अखिल भारतीय  
सेवाएँ आस्तित्व में हैं।

### अखिल भारतीय सेवाएँ

भारतीय प्रशासनिक  
सेवा

भारतीय पुलिस  
सेवा

भारतीय वन  
सेवा (1966)

अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति  
केवल सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की  
सहायता से की जाती है। नियुक्ति के पर्याप्त  
इन्हें विभिन्न राज्यों में सेवा के लिए भेजा जाता  
है। अखिल भारतीय सेवाएँ भारत के संघीय ढाँचे  
को बनाये रखने में अपना योगदान देती हैं।

अरुण - 2.10

द्वारा

वर्तमान परिदृश्य में मीडिया अभिव्यक्ति के  
शोधन के रूप में अपेक्षा किया जाता है  
हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 (ख) द्वारा  
भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की  
स्वतंत्रता प्राप्त है। यह है मीडिया के द्वारा  
जनता को जागरूक करने का कार्य किया  
जाता है। यह है कि सामाजिक मीडिया का चलन  
है। तथा वे मोबाइल और इंटरनेट जैसे माध्यम  
द्वारा लोगों की पहुँच में हैं। वे एक  
विचार को चाहे वह अच्छा हो या बुरा  
फैलाने में देर नहीं लगती। हम आज इन सोशल  
मीडिया पर भ्रष्टाचार और सामक जानकारी देते  
रहे हैं। कई बार इन मीडियों का दुष्परिणाम  
भयानक हो सकता है और मारकाट के रूप में सामने  
आता है। अतः हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम  
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग सकारात्मक  
रूप से करें। मीडिया द्वारा अभिव्यक्ति का सकारण  
संभव है। जो इसका उपयोग लोक कल्याण के  
सर्व कल्याण के लिए या कि हिंसा भड़काने के लिए।

31

प्रश्न 2.12-  
उत्तर :-

लोक अदालत सिविक सेवा प्राधिकरण अधिनियम  
1987 द्वारा एक पोषित होती है। लोक  
अदालतों की वि. वि. विशेषताएं हैं।

(i) लोक अदालतों में कोई प्रशासकीय सुलभ  
नहीं किया जाता है।  
(ii) लोक अदालतों में निर्णय त्वरित होते हैं।  
जोर इसके निर्णय वाक्यकारी होते हैं।  
(iii) लोक अदालतों के निर्णयों की अपील  
किसी अदालत में नहीं की जा सकती  
है।

(iv) लोक अदालतों में प्रक्रिया सरल होती  
है इनमें पक्षकार अपने बर्तनों के माध्यम  
से शीघ्र न्यायाधीशों से बात कर सकते  
हैं।

(v) इनमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम का  
पालन अनिवार्य नहीं होता है।

प्रश्न-3.1 OR

उत्तर

राज्यपाल राज्य का दीर्घकालिक कार्यकारी होता है। संविधान द्वारा राज्यपाल को कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जो निम्नप्रकार हैं।

1. कार्यकारी शक्तियाँ :-  
राज्यपाल को प्रि. 101, कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।

~~अथवा~~ (ii) राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से संसदपरिषद् के मान्य शक्तियों की सिफारिश करना है।

~~किंवा~~ (iii) राज्यपाल प्रदर्शनकारी न्यायान्तों के मामलों को सिफारिश करना है।

(iii) राज्यपाल राज्य विधान सम्मेलन के संरक्षक के रूप में सिफारिश करता है।

(iv) राज्यपाल राज्य सेवक लोक सेवा आयोग के संरक्षक को सिफारिश करना है।

(v) राज्यपाल राज्य के विधायितंत्र के मुख्यमंत्रियों की सिफारिश करना है।

(vi) राज्य को समस्त प्रशासनिक कार्य राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है।

2. विधायी शक्तियाँ :-

(i) राज्यपाल राज्यविधान संसद का अध्यक्ष होता है।

(ii) राज्यपाल को विधानसभ के सत्र को प्रस्ताव देना तथा सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है।

(iii) राज्यपाल विधानसभ द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्राप्त कर आदेशित बनाता है।

2. न्यायिक शक्तियाँ :-

- (i) राज्यपाल को राज्य विधि के अधीन इच्छापूर्वक  
का शक्ति की सजा को कम करने या माफ करने  
का अधिकार है
- (ii) मुख्यमंत्री की सजा या छद्म शक्ति की सजा को  
कम या निलंबित करने का अधिकार है

3

4. अध्यादेश जारी करने की शक्ति 121B

राज्यपाल इस परिस्थिति में अध्यादेश जारी  
कर सकता है जब इस सदन न चल रहा हो  
और वर्तमान परिस्थितियों में पर नियम आवश्यक  
हो। अध्यादेश इन्हीं विषयों पर बनाया जा सकता है  
जिन पर नियम बनाने की शक्ति राज्यविधानसंघ  
को प्राप्त है

5. विवेकाधीन शक्तियाँ :- 121C, 121D

राज्यपाल को कुछ परिस्थितियों में विवेकानुसार  
कार्य करना पड़ता है  
जैसे - चुनाव के बाद किसी सब या चुनावपूर्व  
गठबंधन को बहुमत प्राप्त न हो, तो राज्यपाल  
विवेकानुसार सबसे लंबे सब के नेता को मुख्यमंत्री  
नियुक्त कर सकता है और 1 महीने में बहुमत  
साबित करने का समय है सकता है